

18/23

वकील स्वयं जरीफे अधिवक्ता से  
उपरिष्ठ होकर प्रां पत्र बाबत वाद  
विद्वा का पैश कर निवेदन किया है  
की अपीलान्त व रेस्पोंडेंट के माल्य दृष्टे  
राजीनामा से आग्रह पर समझोता हो  
गुना है अतः प्रथम/वादी की अपील  
को विद्वा करने की अनुमती प्रदान  
करे प्रां पत्र / पत्रावली का उत्तर  
किया गया प्रथम का प्रां पत्र बाबत वाद  
विद्वा करने का स्वीकार किया जाय  
वे पत्रावली अंतर्गत आग्रह होकर करे

विनोद कुमार

ID  
PK



